भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 50 /2017-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सा0का0नि0.... (अ)- केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 30/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 22 सितंबर, 2017, सा.का. नि. 1198(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, स्तंभ(4) में, ब्रैकेट और शब्दों "[डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण के लिए]", के स्थान पर ब्रैकेट, शब्द और अंक " "[डेयरी सहकारी समितियों या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से वितरण के लिए]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.354/320/2017-(टीआरयू)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना सं0 30/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 22 सितंबर, 2017, सा.का. नि. 1198(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था ।